



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12112020-223053
CG-DL-E-12112020-223053

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38]
No. 38]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 11, 2020/कार्तिक 20, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 11, 2020/KARTIKA 20, 1942

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2020

आ.अ. 38 (अ).—यतः, कर्नाटक राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा में निर्वाचित श्री अशोक गस्ती का स्थान जिनकी पदावधि 25.06.2026 सहित उस तारीख तक थी के समाप्त होने से पूर्व उनका निधन होने के कारण 17.09.2020 से रिक्त हो गया है; और

यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराना है;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 147 धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा-

(अ) कर्नाटक राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे 04 दिसम्बर, 2020 से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्दीन बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में:-

(क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख – 18 नवम्बर, 2020 (बुधवार);

(ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख – 19 नवम्बर, 2020 (गुरुवार);

- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख – 23 नवम्बर, 2020 (सोमवार);
- (घ) वह तारीख जिस को यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा – 01 दिसम्बर, 2020 (मंगलवार); और
- (ङ.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा – 04 दिसम्बर, 2020 (शुक्रवार);

नियत करता है;

और

(इ) 09.00 बजे पूर्वाह्न से 04.00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो, विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

[सं. 100/रा.स.-कर्नाटक/05/2020 (1)]

आदेश से,

सुमन कुमार दास, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi the 11th November, 2020

O. N. 38(E).—WHEREAS, the seat of Shri Ashok Gasti in the Council of States, elected by the elected members of the Legislative Assembly of Karnataka, has become vacant on 17.09.2020 by the reason of his death, before the expiration of his term of office which was up to and including 25.06.2026; and

WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 147, sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

- (A) **calls upon** the elected members of the Legislative Assembly of Karnataka to elect, before 04th December, 2020 and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Council of States;
- (B) **appoints**, with respect to the said election;
- (a) the 18th November, 2020 (Wednesday), as the last date for making nominations;
- (b) the 19th November, 2020 (Thursday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 23rd November, 2020 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 01st December, 2020 (Tuesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 04th December, 2020 (Friday), as the date before which the election shall be completed; and
- (C) **fixes the hours** from 9:00 a.m. to 4:00 p.m., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

[No. 100/CS-KT/05/2020(1)]

By Order,

SUMAN KUMAR DAS, Secy.